बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

10 जुलाई 2019

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

- 17

पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई

***165 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 64 वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 15 प्रश्नों के उत्तर में त्रुटियॉ पायी गई थीं, जिसकी शिकायत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग के समक्ष की गई थी, लेकिन बी.पी.एस.सी. ने सुधार के बजाय बिना संशोधित किये परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया है ;

(ख) क्या यह सही है कि 64 वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर में बिना सुधार के परीक्षाफल प्रकाशित किये जाने से परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश व्याप्त है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इसकी जांच विशेषज्ञों से कराने तथा बिना जांच किये ही आयोग की 64 वीं परीक्षा का परिणाम घोषित कराने वाले पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नियुक्ति प्रक्रिया का अनुपालन

***166 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों के पोता-पोती तथा नाती-नतिनी को राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु दो प्रतिशत (2%) क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है जिसका अनुपालन खासकर शिक्षकों तथा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रावधान के अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

***167 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड के अंचलाधिकारी मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के अंचलाधिकारी सरकार द्वारा लोहार जाति को अति पिछड़ा समुदाय घोषित रहने के बावजूद प्रखंड के एक छात्र को सिर्फ बिहार के लिए लिख कर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जिससे छात्र का रेलवे का रिजल्ट स्थगित हो गया है जबकि अन्य प्रखंडों के अंचलाधिकारी सामान्य रूप से जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिले उक्त प्रखंड में आमजन को परेशान करने एवं सरकारी नियमों के विपरीत कार्य करने के दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कारवाई करते हुए पीडि़त छात्र को न्याय दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आपदा प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता

***168 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बजरंगी सिंह, पिता- श्री राजा राम सिंह, ग्राम- बालबांध, थाना- चरपोखरी, प्रखंड - गड़हनी, जिला- भोजपुर के निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक – 09.04.2019 को तेज आंधी- पानी से इनके घर पर तार का पेड़ गिर जाने से इनका मकान काफी क्षतिग्रस्त हो गया था ;

(ग) क्या यह सही है कि हल्का कर्मचारी मो0 शाहिद इकबाल द्वारा इसके संबंध में अंचलाधिकारी, गड़हनी को दिनांक – 16.04.19 को प्रतिवेदन भेज दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि बजरंगी सिंह की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ये गरीब आदमी हैं और मकान बनाने की स्थिति में भी नहीं हैं;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इनकी आर्थिक स्थिति और कठिनाई को देखते हुए पक्का मकान बनाना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

भवन का पुनर्निर्माण

*169 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री,नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के अन्तर्गत लगभग चार दशक पूर्व झंझारपुर नगर पंचायत की स्थापना होने के बाद भी आज तक नगर पंचायत का अपना कार्यालय नहीं है ;

(ख) क्या यह सही है कि नगर पंचायत के कार्यालय कर्मियों को किराए के दो कमरे के भवन में ही अपने कामकाज को अत्यंत कठिनाइयों के साथ निबटाना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि आवास निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवन निर्माण हेतु साठ लाख रुपये मुहैया करा कर कार्यालय भवन निर्माण की निविदा निकाली गई थी;

(घ) क्या यह सही है कि आधा अधूरा भवन का निर्माण कर फरार संवेदक आज तक प्रशासन की पहुंच से दूर है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार आधा अधूरा कार्यालय भवन निर्माण कर फरार संवेदक के ऊपर कार्रवाई कराते हुए निर्माणाधीन नगर पंचायत कार्यालय भवन का पुननिर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सड़क का पक्कीकरण

*170 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के पूर्वी रामकृष्णा नगर में रतन लक्ष्मी पुराना गैस गोदाम बाइपास के पश्चिम सड़क (महादलित टोला) जो भोनू बेलदार के घर तक जाती है, अत्यंत जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना अन्तर्गत उक्त सड़क के पक्कीकरण के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 में पटना नगर निगम के प्राक्कलन के अनुसार 17 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है किन्तु अभी तक निविदा का प्रकाशन नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस सड़क का पक्कीकरण कब तक कराना चाहती है ?

शौचालय, पानी एवं आवास की व्यवस्था

*171 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना के कमला नेहरू व अदालतगंज की लगभग 25 हजार आबादी बुनियादी जरूरतें मसलन आवास, शौचालय, पानी, शिक्षा एवं सफाई जैसी जरुरतों के मूलभूत अभाव का दंश झेल रही है;

(ख) क्या यह सही है कि यहां पीने के लिए पेयजल हेतु मात्र चार बोरिंग लगे हैं इसमें एक खराब हो चुका है, सबसे बड़ी परेशानी शौचालय की है। पांच हजार की बस्ती में मात्र दो सामुदायिक शौचालय हैं जिनमें पानी की सुविधा नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि इन क्षेत्र के गरीबों के लिए निमित आवास जर्जरावस्था में है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पटना के उक्त मोहल्ला में आवश्यकतानुसार शौचालय, पीने के लिए पानी तथा नया आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

अनुशासनिक कार्रवाई कब तक

*172 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

सूचना प्रौद्योगिकी :-

क्या मंत्री, सूचना प्रावैद्यिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार के संकल्प संख्या – 1552 दिनांक – 09.11.2015 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को चार लाख अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि तीन वर्ष से अधिक बीतने के बावजूद भी आज तक विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी को पत्र प्रेषित नहीं किया गया है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी को पत्र भेजने का निदेश देना चाहती है और अबतक विलम्ब करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना चाहती है; यदि हां तो कब तक ?

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई

*173 **श्री सुनील कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, दरभंगा):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल प्रखंड के गयारी गांव में वर्ष 2014 में गुफरान अहमद, पिता- इमरान की मृत्यु बाढ़ में डूब जाने से हो गई;

(ख) क्या यह सही है कि उस वक्त चारों ओर बाढ़ का पानी से घिरा होने के कारण मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, इसके बदले बिरौल थाना से पंचनामा हुआ;

(ग) क्या यह सही है कि मृतक प्रमाण-पत्र सहित सभी कागजात अंचल एवं अनुमंडल कार्यालय में आपदा विभाग से सहायता राशि हेतु आवेदन दिया गया,जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का भी कागजात संलग्न है;

(घ) क्या यह सही है कि 5 वर्ष होने जा रहा है, किन्तु अभी तक अधिकारियों की लापरवाही के कारण मृतक के परिवार को सहायता राशि नहीं मिली है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार दोषी

अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उक्त मृतक के परिवार को सहायता राशि देने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पथ एवं नाली का निर्माण

***174 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के गया शहर के वार्ड नं0- 3 भलुआही, खरखुरा में प्रो. नन्द कुमार प्रसाद के घर से रेलवे कॉलोनी तक पथ एवं नाली का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र पथ एवं नाली का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

उचित मुआवजा कब तक

***175 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा एवं प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला अन्तर्गत शिवहर प्रखंड में दिनांक – 09.06.19 ई. को आए भयंकर तूफान के कारण लाखों रुपये के जान-माल, पेड़-पौधे एवं फसल की बर्बादी हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त भीषण तूफान से शिवहर प्रखंड के मथुरापुर कहतरबा पंचायत में पड़ने वाले सभी गांवों में काफी तबाही हुई है, जिस आपदा से किसान बर्बादी के कगार पर हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विशेष जांच टीम का गठन कर उपरोक्त प्रखंड में हुई भीषण तबाही की गंभीरता से जांच कराकर किसानों को उचित मुआवजा अविलम्ब देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

अतिक्रमण से मुक्त

*176 **श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी के महत्वपूर्ण स्थान न्यू एरिया कदमकुआं, बुद्ध मूर्ती के पास आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल, तिब्बी कॉलेज व अस्पताल, राजकीय नेत्रहीन विद्यालय जो पास-पास हैं के क्षेत्र की चारों तरफ अतिक्रमण कर फुटपाथ पर झोपड़ी का निर्माण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त कॉलेजों के कारण पूरे बिहारवासी अपना उपचार कराने आते हैं, लेकिन अतिक्रमण के कारण यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती है;

(ग) क्या यह सही है कि इन अस्पतालों के मरीजों की सुविधाएं, अतिक्रमणकारी दबंगता से उपयोग करते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर दिनांक – 09.12.16 को अतिक्रमण हटाने का आंशिक काम किया गया था, परन्तु पूर्णतः अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है, आज भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर दबंगता से रह रहे हैं, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण स्थान अपनी पहचान खोते जा रही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण स्थान को अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

रख-रखाव की जिम्मेवारी

*177 **श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अन्तर्गत नौबतपुर प्रखंड मुख्यालय के पास वर्ष 2002 में स्थानीय विधायक श्री श्याम रजक की निधि से माता मरछिया देवी अतिथिशाला का निर्माण कराया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि माता मरछिया देवी अतिथिशाला के निर्माण के पश्चात् अभी तक योजना पूर्ण नहीं हुई है तथा इसे जनता के लिए समर्पित नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि इस अतिथिशाला के निर्माण के बाद किसी भी एजेंसी को इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई है जिसके कारण इसकी स्थिति जर्जर अवस्था में पहुंच गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार स्थानीय नगर पंचायत नौबतपुर को इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी सौंपने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अनुदान की राशि

***178 डा. रामवचन राय (मनोनीत)ः**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड एवं भेजा थाना के अन्तर्गत ग्राम+पो0- रहुआ संग्राम निवासी श्री अमरजीत कुमार मंडल, उम्र- 19 वर्ष, पिता का नाम – श्री महाकान्त मंडल की बाढ़ के कारण सर्पदंश से वर्ष 2017 में मृत्यु हो गई थी जिनके वैध निकटस्थ परिजन को अभी तक प्राकृतिक आपदा मद से देय अनुग्रह अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रारंभिक उपचार में सर्पदंश का स्पष्ट उल्लेख रहने तथा उस आधार पर मृतक का उपचार करने के बावजूद इस मामले में अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मधुबनी ने अपने पत्रांक – 82, दिनांक – 20.02.2019 के द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक, मुख्य चिकित्सा पदा0, मधुबनी से जो स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की थी, उसे अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक के परिजन को देय अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

***179 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार)ः**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय नगर निगम अन्तर्गत विष्णुपुर स्थल से नौलखा मंदिर, बड़ी ऐघु होते हुए पानगाछी धाम तक जाने वाली सड़क जीर्ण –शीर्ण अवस्था में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क विगत 25 वर्षों से जीर्णोद्धार का बाट जोह रही है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सड़क नगर निगम के वार्ड सं0- 39, 40, 41, 45 को जोड़ती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपर्युक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विभागीय पदाधिकारियों पर दण्डात्मक कार्रवाई

*180 **श्री हरिनारायण चौधरी (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला स्थित नगर परिषद् समस्तीपुर के क्षेत्रों में टेम्पू चालकों द्वारा चार स्थानों यथा – मगरदही घाट, दुर्गा स्थान चौक, बहादुरपुर, मोहनपुर पर पैसा वसूला जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थानों में से एक स्थान पर टेम्पू चालकों द्वारा वसूले गये पैसा का रसीद दिया जाता है और तीन स्थानों पर वसूले गये पैसे का रसीद न देकर पैसे का बंदरबांट किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड – "क" पर अंकित स्थानों में से तीन स्थानों पर टेम्पू चालकों द्वारा वसूले गये पैसे का बंदरबांट करने एवं उसमें उदासीनता बरतने वाले विभागीय पदाधिकारियों पर दंडात्मक कारवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

तपोवन जल कुंड का जीर्णोद्धार

*181 **श्री संतोष कुमार सुमन (विधान सभा):**

पर्यटन :-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के तपोवन (गर्म जल कुंड) ऐतिहासिक धरोहर है तथा यहां पर सालाना काफी संख्या में पर्यटक आते हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि तपोवन कुंड में जल का प्रवाह कुछ दिनों पूर्व से बंद हो गया है जिससे इस कुंड का महत्व समाप्त होने की संभावना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार तपोवन (गर्म जल कुंड) का अनवरत गर्म जल प्रवाह के लिए जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?